SHIKSHA SAMVAD
International Journal of Multidisciplinary Research
ISSN: 2584-0983 (Online)
© Shiksha Samvad|Volume-03| Issue-02| December- 2025
Available online at: https://shikshasamvad.com/
DOI:- https://doi.org/10.64880/shikshasamvad.v3i2.38

भारत में खुली जेले : एक समीक्षा

डॉ. प्रियंका सामंत

सहायक आचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर विधि महाविद्यालय, अलवर (राज.)

सारांश

प्रस्तुत शोध–पत्र में भारत में खुली जेलों (ओपन जेल) की अवधारणा, विकास और उनके महत्व का विश्लेषण किया गया है। खुली जेलें उपचारात्मक दंड प्रणाली का एक उन्नत रूप हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य कैदियों को न्यूनतम सुरक्षा और निगरानी में रखते हुए उनके पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देना है। यह लेख जेलों में भीड़ कम करने, कैदियों में स्वावलंबन पैदा करने और उन्हें समाज के लिए एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में तैयार करने की आवश्यकता पर जोर देता है। शोध–पत्र में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में स्थापित प्रमुख खुली जेलों के उदाहरणों के साथ–साथ इन जेलों के संचालन में आने वाली चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर प्रकाश डाला गया है। निष्कर्षतः, यह व्यवस्था अपराधियों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए सुधार और पुनर्वास हेतु एक प्रभावी साधन है।

उपचारात्मक दण्ड प्रणाली के अन्तर्गत कारावासी के पुनर्वास की प्रक्रिया के रूप में पैरोल व्यवस्था सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हुई है। कारावासियों के लिए खुले षिविर (Open Jail) पैरोल का ही एक विस्तृत रूप है जिनका प्रारम्भ बीसवीं षताब्दी के मध्य से हुआ है।

सामान्यतया कारागार व्यवस्था के दो मुख्य उद्देष्य होते है–

1. समाज से अपराधियों को पृथक रखना।
2. अपराधी को समाज में पुर्नस्थापित करने हेतु उन परिस्थितियों का निवारण करना जिनके कारण उसने अपराध कृत्य किया था।

खुले जेल की परिभाषा –

खुले जेल की निष्चित परिभाषा के बारे में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इन्हें कारावासियों के खुले षिविर (व्चमद ।प्ब्ंचने) कहना अधिक उचित समझते है, जबकि अन्य के विचार में इन्हें पैरोल कैम्प कहा जाना उचित है।

सन् 1955 में जिनेवा में अपराध निवारण तथा अपराधियों के उपचार पर अधिवेषन (ब्वदहतमे वद चतमअमदजपवद वि बतपउम – जतमंजउमदज वि विमिदकमते1955) में खुली जेल को परिभाषित करने का प्रयास किया गया था। यह परिभाषा इस प्रकार है–

''कारावासियों के लिए खुले जेल का प्रमुख लक्षण उन पर भौतिकी और षारीरिक बंधन की न्यूनता है जो उनके जेल से भाग जाने के विरूद्व अपनाए जाते हैं। अतः ये ऐसी निगरानी रहित संस्थाए है जिनमें दीवार, ताले, लोहे के सींकचे तथा सुरक्षा गार्डो का कम से कम प्रयोग किया जाता है तथा कारावासियों को स्वच्छन्द जीवन बिताने का अवसर प्रदान किया जाता है ताकि वे अपने समुदाय में स्वयं का उत्तरदायित्व समझ सके तथा स्वअनुषासन की ओर अग्रसर हो सके''।

इस प्रकार खुले षिविर ऐसे प्राचीरविहीन कारागार है जिनमें कारावासियों पर न्यूनतम निगरानी रखी जाती है और जो अपनी रिहाई के पष्चात् स्वयं को समाज में पुनर्वासित कर सकें।

खुले षिविरों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि–

उन्नीसवीं सदी में अमेरिका में कारागार प्रक्षेत्र (च्तपेवद थ्ंतउे) के रूप में कारावासियों के खुले षिविर अस्तित्व में थे। ऐसे कैदी जिनकी कारागार से रिहाई निकट होती थी, सामान्यता कारागार के जंगली प्रक्षेत्रों में श्रमिक के रूप में कार्य करने के लिए अन्तरित कर दिये जाते थे लेकिन ये खुले षिविर वास्तविक रूप से दास षिविर (संअम ब्ंउचने) थे, जिनमें कारावासियों को कडे पहरे और निगरानी में रखकर काम लिया जाता था।

खुले षिविरों की उत्पति का एक अन्य कारण यह भी था कि इसे कारागारों मे कैदियो की भीड़ कम करने का अच्छा विकल्प माना गया तथा इससे कारावासियों मे स्वावलंबन तथा आत्म विष्वास की भावना जागृत होनी थी जो उनके पुनर्वास के लिए अति आवष्यक थी।

उन्नीसवीं सदी के अन्तिम वर्षों में स्विरजरलैण्ड़ में वीट्सविल संस्थान नाम से एक अर्द्ध खुले कारागार की स्थापना की गई। तथापि ब्रिटेन में खुली जेलो का प्रारम्भ वास्तव में सन् 1930 से हुआ जिसमें तत्कालीन कारागार सचिव सदस्य एलेक्जेंडर पेटरसन की उल्लेखनीय भूमिका रही है।

खुले कारागारों को न्यूनतम सुरक्षा संस्थाएं भी कहा जाता है यह व्यवस्था निम्नलिखित सिद्वान्तों पर आधारित है–

1. अपराधी को दण्डस्वरूप कारागार में भेजा जाता है न कि दण्ड के लिए।
2. व्यक्ति को स्वतंत्र जीवन के लिए तब तक प्रषिक्षित नही किया जा सकता जब तक उस पर लगाई गई बंदियों तथा परिरोधो को षिथिल न कर दिया जाए।
3. अपराधी को विधि का अनुसरण करने वाला सदाचारणी व्यक्ति बनाने हेतु कारागार के भीतरी जीवन तथा बाह्म स्वतंत्र जीवन के अंतर को यथासम्भव कम किया जाना अत्यावष्यक है।
4. खुले कारागार मूलतः अपराधी के प्रति विष्वास पर आधारित है, क्योंकि विष्वास से ही विष्वास उत्पन्न होता है।

अमेरिका में खुले कारागार षिविरः–

सन् 1915 के लगभग अमेरिका के मेसाचुसेट्स तथा केलिफोर्निया राज्य में कारावासियों के लिए अनेक खुले जेलो की वास्तविक षुरूआत 1935 के एक विधेयक से हुई, जिसके अन्तर्गत यहां की कारागार व्यवस्था में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए।

गत पचास वर्षो में अमेरिका के अनेक राज्यों के न्यूनतम निगरानी मुक्त खुले षिविर स्थापित किए है, जिनमें टेक्सास राज्य का सिमोगोवाइल तथा न्यूयार्क का बालकिल खुला षिविर विषेष उल्लेखनीय है।

ब्रिटेन में खुले कारागार –

ब्रिटेन के खुले कारागार भी व्यैक्तिक उपचार पद्धति पर आधारित है। ये अपेक्षाकृत अधिक आधुनिकतम एवं सुव्यवस्थित है। इंग्लैड का प्रथम खुला कारागार वेकफील्ड के बन्दीगृह से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर तत्कालीन ब्रिटीष प्रिजन कमीषन के अध्यक्ष सर एलेक्जेण्डर पेटर्सन के संरक्षण में खोला गया था।

© Shiksha Samvad| Received: 03 December 2025 | Accepted: 10 December 2025 | Published: 15 December 2025

हाल ही के वर्षो में ब्रिटेन में खुले कारागार की बजाय होस्टल प्रकृति को अधिक महत्व दिया जा रहा है और ये प्रायः सभी जगह स्थापित किए जा चुके है।

नीदरलैड कारावासियो के लिए तीन खुले कारागारों की व्यवस्था –

1. रोरमोण्ड – 1957
2. हुरा – 1959
3. बार्न्सवेल्ड – 1962 में की गई थी।

इसी उपचारात्मक पद्धति के अन्तर्गत फ्रांस, नार्वे, स्वीडन, बेल्जियम, आस्ट्रेलिया, थाईलैण्ड आदि देषों में भी खुले कारागार की व्यवस्था की गई है।

भारत में खुले कारागार षिविर –

भारतीय कारागारों से सम्बधित सन् 1836 की पृथक जेल समिति ने कारावासियों से सडकों पर श्रम कार्य लिए जाने के प्रति अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की थी जिसके परिणामस्वरूप कारावासियों से कारागार के बाहर काम लिया जाना बंद कर दिया गया।

भारतीय कारागारों के आधुनिकीकरण की दिषा में प्रथम वास्तविक प्रयास 1952 से प्रारम्भ हुआ जब राष्ट्रसंघ के तकनीकी विषेषज्ञ सर वाल्टर रेकलेस इसके परिणामस्वरूप 1946–51 में अखिल भारतीय जेल समिति गठित की गई जिसने तीन वर्षो तक सतत् प्रयास करने के बाद कारागारो के सुधार सम्बन्धी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

खुले षिविरो में कारावासियों को कैदी या बंदी कहने की बजाय अन्तःवासी कहा जाता है। इसी प्रकार कारागार को कारागृह न कहकर खुले षिविर कहे जाने का भी प्रयोजन है।खुले षिविरों की कार्यव्यवस्था आवष्यक रूप से परिवीक्षा पैरोल के सिद्वान्तों पर आधारित है, जिन्हे आधुनिक दण्डषास्त्र में उपचारात्मक पद्धति की सर्वोतम तकनीक माना गया है। भारत में प्रथम खुली जेल प्रारम्भ करने का श्रेय उत्तरप्रदेष राज्य को है, जिसने 1949 में लखनउ के आदर्ष कारागृह के साथ एक खुले जेल की स्थापना की। तदुपरोत आंध प्रदेष राज्य ने 1954 में खुले कारागार षिविर के रूप में मौली अली कृषि बस्ती स्थापित की। महाराष्ट्र में 1955 में खुले कारागार की स्थापना चेरवाडा में की गई।

वर्तमान में भारत में कार्यरत प्रमुख खुले कारागार षिविर निम्न है–

1.उत्तरप्रदेष के सम्पूर्णानन्द षिविर –

उत्तरप्रदेष के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ.सम्पूर्णानन्द की पहल पर बनारस की चकिया तहसिल में प्रथम अस्थाई बंदी षिविर 1952 में लगाया गया। इस षिविर में रखे जाने से पूर्व बन्दियों को 50 वर्ष तक की आयु के अच्छे आचरण वाले ऐसे कारावासियों को रखा गया था जिनकी कालावधि लम्बे समय की थी। इस षिविर में लगभग 3000 बंदी न्यूनतम निगरानी में रखे गये थे। इस षिविर का 3 अक्टूबर 1953 को समापन हो गया। इसी प्रकार उत्तरप्रदेष में नौगढ़ षिविर, नानक सागर षिविर, सारनाथ षिविर, घुरमा षिविर, सितारगंज षिविर, जाजामक षिविर आदि प्रमुख है।

2.खुला कृषि कारागार षिविर, दुर्गापुर (राजस्थान) –

जयपुर से 10 किलोमीटर दूर 116 एकड भूमि पर सन् 1955 में बनाया गया है। प्रारम्भ में इस कृषि षिविरो में जयपुर कारागार के कुछ बन्दियों को बिना किसी अनुसरण या देखरेख के लाया जाता था इनकी संख्या प्रायः 6 से 8 होती थी। इस खुले षिविर की सफलता इसी बात से सिद्ध हो जाती है कि इसके कार्यकाल के प्रथम दस वर्षो में केवल एक ही कारावासी ने षिविर से भागने का प्रयास किया।

© Shiksha Samvad| Received: 03 December 2025 | Accepted: 10 December 2025 | Published: 15 December 2025

3.सम्पूर्णानंद जेल षिविर सांगानेर (राजस्थान)–

1963 में प्रारम्भ इस षिविर में 25 से 60 वर्ष की आयु के बीच के ऐसे अपराधियो को रखा जाता है, जिनकी सजा सात वर्ष से कम न हो तथा बलात्कार या विस्फोटक पदार्थ रखने के अपराधी न हो। मजदूरी भी दी जाती है 1994 में षिविर में बंदियो की संख्या 132 थी।

4.मौली अली कृषक बस्ती (आंधप्रदेष)– 1954 में स्थापित

इसमें प्रारम्भ में ऐसे बन्दियो को रखा गया था जिनका व्यवसाय कृषि कार्य था इन्हें परिवार सहित रहने की सुविधा प्रदान की गई थी। यह कृषि बस्ती 93 एकड़ भूमि में स्थित है।

5.मध्यप्रदेष के नवजीवन षिविर –

मध्यप्रदेष में घोर तथा आदतन अपराधियो को पुनर्वासित करने के लिए नवम्बर 1973 में गुना जिले के मुंगावली में एक खुला कारागार षिविर स्थापित किया गया है जिसे नवजीवन षिविर कहा जाता है।इस षिविर की स्थापना का मुख्य उद्देष्य स्वर्गीय जयप्रकाष नारायण के प्रयासो से चम्बल की बीहडो के आत्म समर्पण करने वाले डैकेतो को पुनर्वासित करना था। डैकेतो के इस सामूहिक आत्म समर्पण का नेतृत्व कुख्यात दस्यु मोहरसिंह तथा माधोसिंह ने किया था जिन पर क्रमष 2 लाख व .....लाख के पुरस्कार की घोषणा की गई थी।

6.नवजीवन षिविर लखीमपुर (मध्यप्रदेष) –

पन्ना जिले के लखीमपुर नामक स्थान पर 1979 में स्थापित किया गया था।

निष्कर्षः–

माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी समय–समय पर खुले कारागारों के सम्बन्ध में दिषा –निर्देष दिये है। अभी हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय ने जेल में ज्यादा भीड़ को कम करने के उपाय पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की है कि ओपन जेल सिस्टम इसका एक समाधान हो सकता है। सेमी ओपन या ओपन जेल में दोषी को जेल परिसर से बाहर जाकर काम करने की इजाजत होती है, ताकि कैदी काम से आमदनी पा सके और षाम होते ही जेल में वापिस लौट आते है। कई बार कैदी ओपन जेल से भाग जाता है, इस खामी में सुधार करने की जरूरत है। वर्तमान में ओपन जेल सिस्टम सुनियोजित तरीके से काम कर रहा है, ओपन जेल सिस्टम देष में और बढ़ाने की जरूरत है।

सन्दर्भः–

1. मानव अधिकार, डॉ. टी.पी त्रिपाठी
2. मानव अधिकार, डॉ. जय जयराम उपाध्याय
3. मानव अधिकार, डॉ. एच.ओ.अग्रवाल
4. मानव अधिकार एवं अन्तर्राष्ट्रीय विधि, डॉ. एस.के.कपूर
5. अन्तर्राष्ट्रीय विधि एवं मानव अधिकार, डॉ. एच.ओ.अग्रवाल
6. भारत का संविधान, आचार्य डी.डी. बसु

Cite this Article:

डा. प्रियंका सामंत," भारत में खुली जेलेः एक समीक्षा" *Shiksha Samvad International Open Access Peer-Reviewed & Refereed Journal of Multidisciplinary Research, ISSN: 2584-0983 (Online), Volume 03, Issue 02, pp.299-302, December 2025. Journal URL: https://shikshasamvad.com/*

This is an Open Access Journal / article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC-ND 3.0) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. All rights reserved.

CERTIFICATE

of Publication

This Certificate is proudly presented to

डॉ. प्रियंका सामंत

For publication of research paper title

भारत में खुली जेले : एक समीक्षा

Published in 'Shiksha Samvad' Peer-Reviewed and Refereed Research Journal and E-ISSN: 2584-0983(Online), Volume-03, Issue-02, Month December 2025, Impact Factor-RPRI-3.87.

Dr. Neeraj Yadav
Editor-In-Chief

Dr. Lohans Kumar Kalyani
Executive-chief- Editor

Note: This E-Certificate is valid with published paper and the paper must be available online at: https://shikshasamvad.com/

DOI:- https://doi.org/10.64880/shikshasamvad.v3i2.38